UPMT010015232026

न्यायालय:–अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–01, मथुरा।
उपस्थित–राम किशोर पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–695/2026
रामवीर प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–192/2017, धारा–323,504,326,308 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–फरह, जिला–मथुरा के अभियुक्त **रामवीर** की ओर से जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा रन्धीर सिंह द्वारा सम्बंधित थाने पर इस आशय की सूचना दी गयी कि वह बल्देव सिंह से 1000/–रू० लेकर अपने गां० आ रहा था तथा उसकी जेब में 3500/–रु० और थे नगला वुर्ज भदाया व ग्राम रैपुरा जाट के बीच उसे दिनेश, रामवीर, दिगम्बर मिले और उससे कहा कि आज कुछ खर्च कर ले उसने खर्च करने से मना किया तो इसी बात को लेकर गाली–गलौज करने लगे उसने गाली देने से मना किया तो उक्त लोगों ने बुरी तरह से सरिया व लात–घूसों से मारापीटा तथा उसे 100 नम्बर गाड़ी द्वारा स्वर्ण जयंति अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर वहां से उसे एस०एन० आगरा रैफर कर दिया, जहां उसका इलाज चला तो जहां जांच के द्वारा उसकी रीड़ हड्डी में फ्रेक्चर आया है तथा बांये कन्धे में दर्द है और सीने में भी दर्द है, वह अभी पूर्णतया ठीक नहीं है। उसे एस०एन० से छुट्टी दे दी है। डॉक्टर द्वारा दूसरी जगह उसे अपना इलाज कराने के लिए कहा गया है। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर उक्त प्रकरण अंतर्गत धारा–323,504,325 भा०दं०सं० पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना उक्त मामले में धारा–325 भा०दं०सं० का लोप करते हुए धारा–308,326 भा०दं०सं० की वृद्धि की गयी गयी।

आवेदक/अभियुक्त की तरफ से धारा–482 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत, अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्वयं की गिरफ्तारी की आशंका जतायी गयी है। साथ ही कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को उक्त केस में झूठा फंसाया गया है, वह पूर्णतया निर्दोष हैं। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही खारिज हुआ है। अभियोजन कथानक को पूर्णतः असत्य होना कहा गया है। घटना की दिनांक–11.04.2017 वर्णित है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से दिनांक–22.04.2017 को दर्ज करायी गयी है। उक्त मामले में अभियुक्त को धारा–319

Digitally signed by RAM KISHOR PANDAY
Date: 2026.03.12 19:31:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दं०प्र०सं० के अंतर्गत तलब किया गया है। उक्त मामले में अन्य सभी अभियुक्तों की सत्र न्यायालय द्वारा से जमानत स्वीकार हो चुकी है। अभियुक्त सभ्य परिवार का सदस्य है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः उक्त कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने एवं समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अशोक कुमार शर्मा प्रति स्टेट आफ राजस्थान 1980 सी०आर०एल०जे० राजस्थान 54 के निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आवेदक यह प्रथमदृष्टया दर्शाने में विफल रहता है कि उसे मात्र लज्जित करने के उद्देश्य से झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसी दशा में विफल रहने पर उसकी अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

अभियोजन कथानक के अनुसार इस मामले में आवेदक/अभियुक्त पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को गाली–गलौज करते हुए मारपीट कर प्राणघातक चोटें पहुंचाने का आरोप है। अभियोजन की ओर से कहा गया है यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में अन्य सह अभियुक्तगण की नियमित जमानत स्वीकार हुयी है, किसी भी अभियुक्त की अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं हुयी है। अभियुक्त की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता को देखते हुए, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, न्यायालय, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं पाता हूँ, तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–11.03.2026

(राम किशोर पाण्डेय)
ID No. UP 6052
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–01, मथुरा।